छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

----000----

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28 फरवरी, 2022

क्रमांक एफ 20-47/2015/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.03.2015 द्वारा जारी **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015(यथासंशोधित -2021)"** में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 की कंडिका क्रमांक 2.5.7 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है अर्थात :-

2.5.7 विभाग द्वारा आबंटित अविकसित भूमि/ लैण्ड बैंक से आबंटित भूमि के आंबटन की दरें :-

ऐसी भूमि, जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिग्रहित की गई है तथा जिस पर सर्वे एवं डिमार्केशन को छोड़कर अन्य कोई विकास व्यय नहीं किया गया है, को अविकसित भूमि माना जायेगा। ऐसी निजी भूमि अर्जन के वर्तमान मूल्य/गाईड लाईन मूल्य पर किये गये व्यय में 10 प्रतिशत राशि एवं भूमि की प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी। उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के अर्जन मूल्य/ गाईड लाईन मूल्य में से जो भी अधिक हो, में 10 प्रतिशत राशि एवं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि के आबंटन के मामले में होने की दशा में भी आबंटन दिनांक के वित्तीय वर्ष हेतु उस क्षेत्र में समीपस्थ निजी भूमि के गाईड लाईन मूल्य के 150 प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत सेवा शुल्क (यथा लागू कर अतिरिक्त) की राशि जोड़ कर भू प्रब्याजि निर्धारित की जायेगी ऐसी अविकसित भूमि का आबंटन विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन से ही हो सकेगा।

ऐसी अविकसित भूमि का वार्षिक भू-भाटक निर्धारित भू-प्रब्याजि का 3 प्रतिशत की दर से लिया जायेगा एवं इस भूमि पर संधारण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

परंतु, भविष्य में यदि ऐसे अविकसित क्षेत्र में राज्य शासन/निगम कोई विकास कार्य प्रारंभ करता है तो पूर्व के भूमि आबंटन के प्रकरणों में भी औद्योगिक

इकाइयों को राज्य शासन /सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दरों पर भू–भाटक तथा संधारण शुल्क देना होगा।

परंतु, यदि किसी भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ है, चाहे उस क्षेत्र में विकास पूर्ण नहीं हुआ है तो भी विकसित भूमि मानकर तदनुसार निर्धारित दरों से भू–प्रब्याजि, भू–भाटक तथा यथा निर्धारित संधारण शुल्क लिया जायेगा।

परंतु, नियमावली की कंडिका– 2.13 के अंतर्गत लैण्ड बैंक से "4 हेक्टेयर या 10 एकड़ तक भूमि आबंटन" के मामलों में लीज होल्ड से फ्री–होल्ड होने वाली भूमि की प्रब्याजी के निर्धारण हेतु समीपस्थ विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों में लागू प्रब्याजी की दर (संबंधित प्रयोजन हेतु) के आधार पर भूमि लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने हेतु देय राशि की गणना की जावेगी।

कंडिका के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय–3 की कंडिका क्रमांक 3.4.2.15 के पश्चात नवीन कंडिका क्रमांक 3.4.2.16 का समावेश किया जाता है :–

***3.4.2.16* – <u>विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभागीय आबंटित अविकसित भूमि/ लैण्ड बैंक से पट्टे पर आबंटित भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों में की दरें :–</u>**

विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर विभागीय आबंटित अविकसित भूमि/ लैण्ड बैंक से पट्टे पर आबंटित भूमि के हस्तांतरण के प्रकरणों में कंडिका 2.5.7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सांकेतिक भू–प्रब्याजि के निर्धारण के आधार पर हस्तांतरण शुल्क का निर्धारण किया जायेगा।

किन्तु, ऐसी दरें विभाग द्वारा विकसित समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र में लागू प्रब्याजि की दरों से अधिक नही होंगी। अर्थात् कंडिका 2.5.7 के अनुसरण में निर्धारित होने वाली अधिकतम सांकेतिक प्रब्याजि दरें विभाग द्वारा विकसित/संचालित समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र में लागू प्रब्याजि की दरों तक सीमित होगी।

यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता. –
(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. 20-47/2015/11/(6) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी, 2022
प्रतिलिपि :-

1. **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. **निज सहायक,** माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3. **प्रमुख सचिव/सचिव,** छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
4. **संचालक,** उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
5. **प्रबंध संचालक,** सी.एस.आई.डी.सी. प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक-1, तेलीबांधा, रायपुर, (छत्तीसगढ़)
6. **नियंत्रक,** शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग